[2019] 13 S.C.R. 565

मणिपुर राज्य और अन्य।

बनाम

कोटिंग लामकंग

(सिविल अपील संख्या 8298/2019) 22 अक्टूबर, 2019

[बेंच: आर भानुमति, ए.एस. बोपन्ना, हृषिकेश रॉय, जे.जे.]

हृषिकेश रॉय, जे.

1. अनुमति दी गई.

2. यह अपील इंफाल में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा एमसी (आरएफए) संख्या में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27.11.2017 के खिलाफ दायर की गई है। आरएफए नंबर 5/2017 के संदर्भ में 2017 का 19, जिसके तहत और जहां, नियमित प्रथम अपील को प्राथमिकता देने में 312 दिनों की देरी की माफी के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने देरी को माफ करने से इनकार कर दिया है। परिणामस्वरूप आवेदन खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ताओं द्वारा इस अनुमान के साथ माफी मांगी गई थी कि उन्होंने गलत फोरम यानी विद्वान जिला न्यायाधीश, इम्फाल पश्चिम के समक्ष दिनांक 18.07.2016 के आक्षेपित आदेश और डिक्री के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देने में एक वास्तविक गलती की थी। हालाँकि न्यायालय ने इस आधार पर अपील पर विचार नहीं किया कि न्यायालय के पास अपील पर विचार करने का कोई आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं है। तदनुसार, Judl.Misc. 2017 के केस नंबर 32 का निपटारा विद्वान जिला न्यायाधीश ने 28.07.2017 को किया और अपीलकर्ता को मणिपुर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति दी।

3. आरएफए संख्या 19/2017 में विलंब माफी हेतु आवेदन से पता चलता है कि अपीलकर्ता द्वारा गलत फोरम में 44 दिन (15.06.2017 से 28.07.2017) बिताया गया समय था। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि अन्य दिनों के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं किया गया। तदनुसार, माफी आवेदन को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा 18.07.2016 और 15.06.2017 के बीच लिए गए समय के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उस आधार पर, नियमित प्रथम अपील पर गुण–दोष के आधार पर विचार नहीं किया गया।

4. हमने अपीलकर्ता–मणिपुर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के साथ–साथ प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को भी सुना है।

5. प्रतिवादी की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील का कहना है कि डिक्री के बाद, निष्पादन की कार्यवाही शुरू हुई और अंततः 11.07.2018 को समाप्त हुई और इसलिए, आरएफए में योग्यता के आधार पर विचार करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, चाहे कब्ज़ा हो संबंधित भूमि प्रतिवादी–वादी को सौंप दी गई।

6. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रतिवादी के उपरोक्त तर्क का दृढ़ता से खंडन किया गया है। उनका कहना है कि डिक्री और निष्पादन की कार्यवाही के बावजूद, मणिपुर राज्य और अन्य प्रतिवादियों का विवादित भूमि पर कब्जा बना हुआ है।

7. जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा मणिपुर राज्य और अन्य द्वारा आरएफए में 312 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करने का सवाल है, तो यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं ने 15.06.2017 को पहली बार अपील करने से पहले जिला जज के समक्ष अपील की थी। लेकिन चूंकि यह गलत फोरम के समक्ष था और इसे लगभग ग्यारह महीने की देरी के बाद दायर किया गया था और 18.07.2016 और 15.06.2017 के बीच राज्य द्वारा लिए गए समय के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, उच्च न्यायालय के समक्ष आरएफए दाखिल करने में देरी को माफ नहीं किया गया. वास्तव में न्यायालय ने पाया कि राज्य ने 15.06.2017 तक यह नहीं दिखाया कि उन्हें जिला न्यायाधीश (गलत फोरम) के समक्ष अपील करने से किसने रोका। न्यायालय ने यह भी कहा कि वर्तमान मामले में "पर्याप्त कारण" परीक्षण के मानकों को लागू करने में ढिलाई लागू नहीं होती है।

8. लेकिन उपरोक्त के अनुसार निष्कर्ष निकालते समय, अदालत के लिए नौकरशाही की देरी और सरकारी निर्णय तक पहुंचने की धीमी गति और यह तय करने के नियमित तरीके के प्रति सचेत रहना आवश्यक था कि राज्य को अपने प्रतिकूल फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए या नहीं। यह देखते हुए भी कि परिसीमा का कानून पार्टी पर कठोर प्रभाव डालेगा, अदालत ने महसूस किया कि राज्य द्वारा दायर अपील में देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए।

9. ऐसी ही परिस्थितियों में सरकार के कामकाज की अवैयक्तिक प्रकृति पर ध्यान दिया जाना चाहिए जहां व्यक्तिगत अधिकारी जिम्मेदारी से कार्य करने में विफल हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, राज्य के संस्थागत हित के साथ अन्याय होगा। यदि राज्य द्वारा दायर की गई अपील व्यक्तिगत डिफ़ॉल्ट के कारण खो जाती है, तो जो लोग गलती पर हैं, वे आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं होंगे।

10. प्रतिवादियों यानी मणिपुर राज्य, पुलिस महानिदेशक और मणिपुर राइफल्स की 8 वीं बटालियन के कमांडेंट के खिलाफ पारित डिक्री के तहत तत्काल मामले में, अपीलकर्ताओं को अनुसूची "सी" और "डी" भूमि, को खाली करना होगा और सौंपना होगा जिसे अपीलकर्ताओं द्वारा रणनीतिक महत्व का क्षेत्र होने का अनुमान है। इसलिए हमारा मानना है कि अपीलकर्ताओं को एक कानूनी मंच उपलब्ध कराना जरूरी है, जो ओएस नंबर 04/2015 में वादी, द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) चंदेल से प्राप्त, डिक्री को उनकी चुनौती पर विचार कर सके।

11. वर्तमान मामले में, गलत अदालत के समक्ष जाने में 44 दिनों की सीमा तक की देरी को आक्षेपित निर्णय में संतोषजनक ढंग से समझाया गया पाया गया। जहां तक देरी की शेष अवधि को पर्याप्त रूप से समझाने में राज्य की विफलता का संबंध है, हमारी राय है कि न्याय के हित की बेहतर सेवा होगी, यदि ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपीलकर्ताओं की चुनौती को योग्यता के आधार पर जांचने की अनुमति दी जाती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय. यदि प्रतिवादी के आरएफए की योग्यता को अपीलीय न्यायालय द्वारा जांचने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो राज्य के पास उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी शिकायतों को संबोधित करने का कोई अवसर नहीं होगा। हम यह भी देख सकते हैं कि यदि सुरक्षा से जुड़े रणनीतिक रूप से संवेदनशील मामले पर आरएफए पर

विचार करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो अंतिम विश्लेषण में, सार्वजनिक हित को नुकसान होने की संभावना है। इसलिए प्रथम अपील पर राज्य द्वारा देरी के आधार पर अनुपयुक्त होने के बजाय योग्यता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

12. इसलिए राज्य के हित के साथ अन्याय से बचने के लिए और इस मामले में विशेष परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना और मणिपुर उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं। प्रथम अपील दायर करने में हुआ विलंब क्षमा किया जाता है। हालाँकि यह रुपये की लागत के भुगतान के अधीन होगा। उच्च न्यायालय में अपीलकर्ताओं द्वारा 50,000/– (पचास हजार रुपये)। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं द्वारा पसंद की गई नियमित प्रथम अपील को बहाल करने और उसके गुणों के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। कब्जे पर लेने/नहीं लेने पर प्रतिद्वंद्वी विवादों को ध्यान में रखते हुए और निष्पादन की कार्यवाही 11.07.2018 को समाप्त होने की बात कही गई है, कब्जे और निष्पादन को अंतिम रूप देने का मुद्दा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय आरएफए नंबर 5/2017 के अधीन है।

13. उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, निष्पादन न्यायालय को रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2018 के अनुसरण में, अपीलकर्ता–मणिपुर राज्य को 15,00,000/– (पंद्रह लाख रुपये) और अर्जित ब्याज निष्पादन न्यायालय में जमा कराया जाएगा।

14. उपरोक्त आदेश के साथ अपील स्वीकार की जाती है।

Digitally signed by KUWAR ROHIT ANAND
Date: 2023.11.04 14:36:19 EAT
Reason: Translation
Location: District and Sessions Court, raebareli